न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 08/2020
दायर दिनांकः 04.08.2020
निर्णय दिनांक 06.06.2025

—: अनवान :—

मानसिंह पिता प्रतापसिंहजी जाति राजपुत आयु 87 वर्ष निवासी —मादडी गोवलिया, तहसील व एवं जिला राजसमन्द के बजाय
1/1 गीता पुत्री मानसिंहजी जाति राजपुत आयु 50 वर्ष निवासी मादड़ी गोवलिया, तहसील एवं जिला राजसमन्द हाल पति हरिसिंह चौहान निवासी कल्लाखेड़ी खारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द **—अपीलान्ट**

बनाम

1. बलवन्तसिंह पिता डुलेसिंहजी जाति राजपुत आयु 35 वर्ष निवासी मादड़ी गोवलिया, तहसील व एवं जिला राजसमन्द
2. तहसीलदार जी राजसमन्द जरिये राज्य सरकार **—रेस्पोडेन्टगण**

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राजसमन्द नामान्तरकरण संख्या 450 दिनांक 07.07.2020

उपस्थितः—

1— श्री अतुल पालीवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
2— रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित(एकपक्षीय कार्यवाही)
3— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने नामान्तरण संख्या 450 स्वीकृत दिनांक 07.07.2020 द्वारा तहसीलदार राजसमन्द के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट संख्या एक आपस में बड़े पिता व भतीजा लगते हैं व एक ही परिवार से हैं। अपीलान्ट के पुत्र नहीं होकर के एक पुत्री हैं जो अपने ससुराल कल्लाखेड़ी नाथद्वारा में परिवार सहित निवास करती हैं। अपीलान्ट के परिवार में स्वयं अपीलान्ट एवं उसकी वृद्ध पत्नि हैं के अलावा और कोई सदस्य नहीं हैं। मानसिंह अपीलान्ट के पास अपनी पुस्तैनी कृषि भूमि जो राजस्व गांव मादड़ी गोवलिया में स्थित हैं, जिसके खसरा संख्या 600 रकबा 0.05.00, खसरा संख्या 620 रकबा 0.02.00, खसरा संख्या 621 रकबा 1.08.00 कुल किता 3 कुल रकबा 1.08.00 में 1/2 हिस्सा अपीलान्ट का व 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के भाई डुलेसिंह का जो रेस्पोंडेंट का पिता हैं ने अपीलान्ट से कहा कि कि

आप वृद्ध हैं, आपसे खेती नही होती हैं और खसरा संख्या 620 व 621 में दोनो के 1/2 1/2 हिस्सा होने से खेती भी ढंग से नही होती हैं इसलिये उक्त दोनो खसरा संख्या मुझे विक्रय कर दो। अपीलान्ट ने भी अपने छोटे भाई के कहने पर विश्वास में उक्त दोनो खसरा संख्या को अपने भाई डुलेसिंह को विक्रय करना तय किया। विक्रय के समय अपीलान्ट ने अपने भाई व रेस्पोंडेंट से कहा कि मेरी पुत्री को भी बुला लो ताकी उसकी भी जानकारी में हो जायेगा परन्तु रेस्पोंडेंट एवं उसके पिता ने अपीलान्ट से अपनी लड़की को बुलाने से साफ इन्कार कर दिया एवं कहा कि हम आपसे धोखा नही करेंगे। अपीलान्ट ने भी यह सोचा कि दो खसरा संख्या का विक्रय करना हैं, इसमें क्या धोखा होगा। रेस्पोंडेंट एवं उसके पिता एवं रजिस्ट्री लिखने वाले ने धोखाधड़ी करते हुए जो विक्रय पत्र कम्प्युटर में पढ़कर सुनाया उसमें खसरा संख्या 620 व 621 का हीं उल्लेख था परन्तु स्टाम्प पर प्रिन्ट के समय खसरा संख्या 600 रकबा 0.05.00 काभी उल्लेख कर दिया जबकि उक्त खसरा संख्या अपीलान्ट ने बिकाव नही किया गया। खसरा संख्या 600 पर अपीलान्ट का मकान बना हुआ हैं, जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा हैं। अपीलान्ट का यहीं एकमात्र रिहायशी मकान हैं, जिसका निर्माण कई वर्ष पूर्व किया गया, इस मकान के अलावा और कोई मकान नही हैं। खसरा संख्या 600 के 1/2 हिस्से में अपीलान्ट का मकान हैं जिसके पड़ोस निम्न प्रकार हैं कि उत्तर दिशा में मनोहरसिंहजी का बाड़ा, दक्षिण दिशा अपीलान्ट के भाई डुलेसिंह का मकान यानि कि खसरा संख्या 600 का 1/2 हिस्सा, पूर्व दिशा मनोहर सिंह जी, पश्चिम दिशा आम रास्ता है। उक्त चारो पड़ोसो के मध्य अपीलान्ट का मकान हैं जिसमें नीचे वाले जमीन तल पर आगे वाले भाग में तलघर बना रखा हैं। उसके उपर एक कमरा व एक ढालिया बना हुआ हैं। अपीलान्ट की आर्थिक स्थिति ठीक नही हैं, कमरे व ढालिये पर छत के स्थान पर सीमेन्ट के चद्दर लगा रखे हैं। रेस्पोंडेंट ने कुटरचित तरीके से अपीलान्ट को विश्वास में लेकर धोखाधड़ी करते हुए खसरा संख्या 620 व 621का हिस्सा हीं बिकाव किया था। विक्रय पत्र खसरा संख्या 600 के हिस्से का भी उल्लेख कर दिया, जिस पर अपीलान्ट का मकान बना हुआ हैं। रेस्पोंडेंट के द्वारा विक्रय मुल्य भी खसरा संख्या 620 व 621 के हिस्से का तय किया गया था। रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलान्ट को बिना प्रतिफल दिये धोखाधड़ी व कुटरचित तरीके से खसरा संख्या 600 का रकबा हड़पने का कृत्य किया हैं। विक्रय पत्र के पंजीयन के समय जो साक्षी थे उनके समक्ष भी खसरा संख्या 620 व 621 का हिस्सा हीं विक्रय करना तय किया गया एवं इस हिस्से का हीं प्रतिफल प्राप्त किया हैं। साक्षीगण को भी इस बात की जानकारी हैं कि खसरा संख्या 600 के हिस्से का बिकाव नही किया गया जिसमें अपीलान्ट का मकान बना हुआ हैं। रेस्पोंडेंट के द्वारा विक्रय पत्र की प्रति पंचायत में नामान्तरकरण के लिये दी गई, जहां से अपीलान्ट को इसकी जानकारी हुई हैं कि रेस्पोन्डेन्ट ने विक्रय पत्र के पंजीयन के समय खसरा संख्या 620, 621 के साथ खसरा संख्या 600 का हिस्सा भी कय कर लिया जबकि अपीलान्ट ने इसे विक्रय नही किया। अपीलान्ट ने जब इस बारे में रेस्पोंडेंट व उसके पिता से इस बारे में पुछा कि विक्रय पत्र में खसरा संख्या 600 मकान का उल्लेख क्यों किया तो इस पर रेस्पोंडेंट द्वारा कहा गया कि जब तक तुम जिन्दा हो रहो, तुम्हारे 100 वर्ष पुरे होने पर कब्जा लेंगे, इससे पहले कब्जा नही लेंगे। विक्रय पत्र निरस्त के लिये कहा गया तो टालमटुल जवाबदेता। इस पर अपीलान्ट ने मजबुर होकर के जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश किया जिसमें कार्यवाही न होने पर 156 (3) C-R-P-C. के तहत न्यायालय से प्रकरण दर्ज किये जाने का आदेश किया, जिस पर पुलिस थाना राजनगर में F-I-R- संख्या 203/2020 P-S राजनगर अपराध धारा में प्रकरण दर्ज हुआ। इसी के साथ अपीलान्ट के द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायालय राजसमन्द में विक्रय दिनांक को जो अपीलान्ट के द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

रेस्पोंडेंट के पक्ष में पंजीयन कराया गया को निरस्त किये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद व प्रार्थना पत्र T-I प्रस्तुत किया के मुकदमा संख्या 11/2020 ई. दी. व 6/2020 मु.दी. व अनवान मानसिंह बनाम बलवन्तसिंह होकर के पेशी दिनांक 31–6–20 को नियत हैं। न्यायालय द्वारा T-I में अन्तरिम स्थगन आदेश भी जारी कर दिया हैं। अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता के मार्फत एक पंजीकृत सूचना पत्र रेस्पोंडेंट, सचिव ग्राम पंचायत मुण्डोल, पटवारी पटवार हल्का मुण्डोल को दिनांक 2/6/2020 को प्रेषित किया गया। पंजीकृत सूचना पत्र सचिव, पटवारी एवं स्वयं रेस्पोंडेंट को प्राप्त हो जाने के बावजुद जिस प्रकार से तथ्यों को छुपाकर फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम से नामान्तरकरण खुलवा लिया गया जो विधिक रूप से गलत हैं। जो तथाकथित विक्रय पत्र हीं असत्य व गलत हैं। ऐसे में सूचना प्रेषित किये जाने के बावजुद तथ्यों को नजरअन्दाज कर रेस्पोंडेंट को लाभ पहुंचाने की नियत से आनन फानन में खोला गया नामान्तरकरण काबिले निरस्त योग्य हैं। रेस्पोंडेंट संख्या एक स्वयं को इस बात की जानकारी कि विक्रय पत्र दिनांक 08.01.2020 में खसरा संख्या 600 का उल्लेख कुटरचित तरीके से अंकित किया गया हैं, यह भी जानकारी कि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायालय राजसमन्द में विक्रय पत्र को निरस्त करनें का वाद प्रस्तुत हो चुका हैं, पुलिस थाना राजनगर में भी प्रकरण दर्ज कराया गया हैं व पंजीकृत नोटिस प्राप्त होने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य रख कर व तथ्य छुपाकर नामान्तरकरण निर्णित कराया, जो विधि सम्मत नही हैं। रेस्पोंडेंट संख्या 2 के अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का को भी इस तथ्य की जानकारी इस तथ्य की जानकारी थी, उसे भी नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण के निर्णय से पूर्व इस तथ्य को पटवारी हल्का ने जानबुझकर छुपाया गया एवं जिस प्रकार से फर्जी दस्तावेज के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण काबिले निरस्त योग्य हैं, इस निमित्त यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। खसरा संख्या 600 के 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट का मकान हैं, उसे रेस्पोंडेंट को बिकाव नही किया, न हीं विक्रय मुल्य प्राप्त किया, ऐसे तथाकथित फर्जी दस्तावेज के आधार पर किया गया निर्णय खारिज योग्य हैं। खसरा संख्या 600 रकबा 5 बिस्वा के आधे हिस्से पर अपीलान्ट का मकान बना हुआ हैं, कब्जा अपीलान्ट का निरन्तर चला आ रहा हैं, अभी भी कब्जा अपीलान्ट का हीं हैं। ऐसे में इन सब तथ्यों को नजरअन्दाज कर खोला गया नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोंडेंट संख्या एक द्वारा अपने ताकत व पैसो के बल से व प्रभाव का उपयोग कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर निर्णय कराया गया हैं। जिससे रेस्पोंडेंट संख्या एक लाभ प्राप्त करना चाहता हैं, जिसका उसे कोई अधिकार नही हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2020 को निर्णय पारित किया गया जो काबिले निरस्त योग्य हैं। उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 17.07.2020 को होने व निर्णय की नकल दिनांक 21.07.2020 को प्राप्त होने से अपील अन्दर मयाद पेश हैं। अतः निवेदन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 450 दिनांक 07.07.2020 विधि विरूद्ध होने से व विधि सम्मत न होने से उक्त निर्णय को अपास्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में पुनः पूर्व की स्थिति को कायम करावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

एक आपस में बड़े पिता व भतीजा लगते हैं व एक ही परिवार से हैं। अपीलान्ट के पुत्र नहीं होकर के एक पुत्री हैं जो अपने ससुराल कल्लाखेड़ी नाथद्वारा में परिवार सहित निवास करती हैं। अपीलान्ट के परिवार में स्वयं अपीलान्ट एवं उसकी वृद्ध पत्नि हैं के अलावा और कोई सदस्य नहीं हैं। अपीलान्ट के पास अपनी पुस्तैनी कृषि भूमि जो राजस्व गांव मादड़ी गोवलिया में स्थित हैं, जिसके खसरा संख्या 600 रकबा 0.05.00, खसरा संख्या 620 रकबा 0.02.00, खसरा संख्या 621 रकबा 1.08.00 कुल किता 3 कुल रकबा 1.08.00 है में 1/2 हिस्सा अपीलान्ट का व 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के भाई डुलेसिंह का जो रेस्पोंडेंट का पिता हैं ने अपीलान्ट से कहा कि कि आप वृद्ध हैं, आपसे खेती नही होती हैं और खसरा संख्या 620 व 621 में दोनो के 1/2– 1/2 हिस्सा होने से खेती भी ढंग से नही होती हैं इसलिये उक्त दोनो खसरा संख्या मुझे विक्रय कर दो। अपीलान्ट ने भी अपने छोटे भाई के कहने पर विश्वास में उक्त दोनो खसरा संख्या को अपने भाई डुलेसिंह को विक्रय करना तय किया। विक्रय के समय अपीलान्ट ने अपने भाई व रेस्पोंडेंट से कहा कि मेरी पुत्री को भी बुला लो ताकी उसकी भी जानकारी में हो जायेगा परन्तु रेस्पोंडेंट एवं उसके पिता ने अपीलान्ट से अपनी लड़की को बुलाने से साफ इन्कार कर दिया एवं कहा कि हम आपसे धोखा नही करेंगे। अपीलान्ट ने भी यह सोचा कि दो खसरा संख्या का विक्रय करना हैं, इसमें क्या धोखा होगा। रेस्पोंडेंट एवं उसके पिता एवं रजिस्ट्री लिखने वाले ने धोखाधड़ी करते हुए जो विक्रय पत्र कम्प्युटर में पढ़कर सुनाया उसमें खसरा संख्या 620 व 621 का हीं उल्लेख था परन्तु स्टाम्प पर प्रिन्ट के समय खसरा संख्या 600 रकबा 0.05.00 काभी उल्लेख कर दिया जबकि उक्त खसरा संख्या अपीलान्ट ने बिकाव नही किया गया खसरा संख्या 600 पर अपीलान्ट का मकान बना हुआ हैं, जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा हैं। अपीलान्ट का यहीं एकमात्र रिहायशी मकान हैं, जिसका निर्माण कई वर्ष पूर्व किया गया, इस मकान के अलावा और कोई मकान नही हैं। रेस्पोंडेंट ने कुटरचित तरीके से अपीलान्ट को विश्वास में लेकर धोखाधड़ी करते हुए खसरा संख्या 620 व 621 का हिस्सा हीं बिकाव किया था। विक्रय पत्र खसरा संख्या 600 के हिस्से का भी उल्लेख कर दिया, जिस पर अपीलान्ट का मकान बना हुआ हैं। रेस्पोंडेंट के द्वारा विक्रय मुल्य भी खसरा संख्या 620 व 621 के हिस्से का तय किया गया था। रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलान्ट को बिना प्रतिफल दिये धोखाधड़ी व कुटरचित तरीके से खसरा संख्या 600 का रकबा हड़पने का कृत्य किया हैं। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को विक्रय पत्र निरस्त के लिये कहा गया तो रेस्पोडेन्ट टालमटुल जवाब देता रहा इस पर अपीलान्ट ने मजबुर होकर के जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश किया जिसमें कार्यवाही न होने पर 156 (3) C-R-P-C. के तहत न्यायालय से प्रकरण दर्ज किये जाने का आदेश किया, जिस पर पुलिस थाना राजनगर में F-I-R- संख्या 203/2020 P-S राजनगर अपराध धारा में प्रकरण दर्ज हुआ। इसी के साथ अपीलान्ट के द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायालय राजसमन्द में विक्रय दिनांक को जो अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोंडेंट के पक्ष में पंजीयन कराया गया को निरस्त किये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद व प्रार्थना पत्र T-I प्रस्तुत किया अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता के मार्फत एक पंजीकृत सूचना पत्र रेस्पोंडेंट, सचिव ग्राम पंचायत मुण्डोल, पटवारी पटवार हल्का मुण्डोल को दिनांक 2/6/2020 को प्रेषित किया गया। पंजीकृत सूचना पत्र सचिव, पटवारी एवं स्वयं रेस्पोंडेंट को प्राप्त हो जाने के बावजुद जिस प्रकार से तथ्यों को छुपाकर फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम से नामान्तरकरण खुलवा लिया गया जो विधिक रूप से गलत हैं। रेस्पोंडेंट संख्या एक स्वयं को इस बात की जानकारी कि विक्रय पत्र दिनांक 08.01.2020 में खसरा संख्या 600 का उल्लेख कुटरचित तरीके से अंकित किया गया हैं, यह भी जानकारी कि न्यायालय वरिष्ठ सिविल

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

न्यायालय राजसमन्द में विक्रय पत्र को निरस्त करनें का वाद प्रस्तुत हो चुका हैं, पुलिस थाना राजनगर में भी प्रकरण दर्ज कराया गया हैं व पंजीकृत नोटिस प्राप्त होने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य रख कर व तथ्य छुपाकर नामान्तरकरण निर्णित कराया, जो विधि सम्मत नही हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2020 को निर्णय पारित किया गया जो काबिले निरस्त योग्य हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 450 दिनांक 08.07.2020 विधि विरूद्ध होने से व विधि सम्मत न होने से उक्त निर्णय को अपास्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में पुनः पूर्व की स्थिति को कायम करावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र की अनुपालना में विधिसम्मत व नियमानुकुल नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा ग्राम मादड़ी गोवलिया के नामान्तरण संख्या 450 दिनांक 07.07.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध विचारणीय अपील इस आधार पर प्रस्तुत की, कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलार्थी की राजस्व ग्राम मादड़ी गोवलिया में स्थित खसरा नं. 620 व 621 के विक्रय पत्र निष्पादन के दौरान खसरा नं. 600 का भी अपीलान्ट को बिना प्रतिफल दिये धोखाधड़ी व कुटरचित तरिके से अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करा दिया एवं बावजूद पंजीकृत सूचना पटवारी हल्का द्वारा उक्त फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत करवाया गया जो विधि विरूद्ध होकर काबिल निरस्त है।

उक्त क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी श्री मानसिंह पिता प्रतापसिंह द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बलवन्तसिंह पिता डुलेसिंह राजपूत के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 08.01.2020 के अवलोकन पर पाया कि अपीलार्थी श्री मानसिंह पिता प्रतापसिंह द्वारा राजस्व ग्राम मादड़ी गोवलिया में स्थिति अपने स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नं. 600, 620 व 621 कुल किता 3 कुल रकबा 1–13 बीघा भूमि में स्थित अपने 1/2 हिस्से का विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बलवन्तसिंह पिता डुलेसिंह राजपूत को किया गया। उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुसरण में पटवारी हल्का मुण्डोल द्वारा ग्राम मादड़ी गोवलिया का प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 450 दर्ज किया गया, उक्त नामान्तरण की जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा उक्त नामान्तरण दिनांक 08.07.2020 को स्वीकृत किया गया। जो कि राजस्थान भू–राजस्व(भू–अभिलेख) नियमावली 1957 में विहित प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार दर्ज व स्वीकृत किया गया।

जहां तक तथाकथित पंजीबद्ध विक्रय पत्र के कुटरचित एवं फर्जी होने का प्रश्न है अपीलान्ट द्वारा उक्त विक्रय पत्र किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने संबंधी कोई दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में दिनांक 08.01.2020 को निष्पादित विक्रय पत्र की वैद्यता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र की अनुपालना में प्रश्नगत नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकृत किया गया है। जो कि राजस्थान भू–राजस्व(भू–अभिलेख) नियमावली 1957 में विहित प्रावधानों के अनुसार दर्ज व स्वीकृत किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण आदेश यथावत रखा जाता है।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 06.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)